ई–गवर्नैन्स सोसाईटी, (आर0एल0ए0) काँगड़ा, जिला काँगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 9/2005 से 3/2014

भाग–एक

1 **प्रारम्भिकः–**

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या–TPT-F(1)-3/2000-e-Governance, दिनांक 3.9.2005 के अन्तर्गत जारी दिशा निदेशों के दृष्टिगत ई–गवर्नैन्स सोसाईटी, काँगड़ा की परिवहन विभाग की गतिविधियों से सम्बन्धित अवधि 9/2005 से 3/2014 के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी सोसाईटी के प्रशासक एवं आहरण/वितरण अधिकारी के पद पर कार्यरत्त रहेः–

क्र0सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री एच0एस0 पुन्डीर	उप मण्डलाधिकारी (ना0)	03.09.05 से 15.02.06
2	श्रीमती एम सुधा देवी	उप मण्डलाधिकारी (ना0)	15.02.06 से 03.03.07
3	श्री सी पॉल रासु	उप मण्डलाधिकारी (ना0)	07.04.07 से 16.02.08
4	श्री प्रदीप ठाकुर	उप मण्डलाधिकारी (ना0)	25.02.08 से 06.07.09
5	श्री एल0आर0 नेगी	उप मण्डलाधिकारी (ना0)	06.07.09 से 17.05.10
6	श्री नीरज कुमार	उप मण्डलाधिकारी (ना0)	18.05.10 से 10.06.11
7	श्री विनय सिंह ठाकुर	उप मण्डलाधिकारी (ना0)	10.06.11 से 07.05.12
8	श्री नेत्रसिंह जसवाल	उप मण्डलाधिकारी (ना0)	14.05.12 से 30.07.12
9	श्री अजीत भारद्वाज	उप मण्डलाधिकारी (ना0)	07.08.12 से लगातार

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	राशि लाखों में
1	13	सत्कार प्रभार (Hospitality Charges) पर किए गए अनियमित व्यय के बारे में	0.08
2	14	उप मण्डलाधिकारी (ना0) के आशुलिपिक के कार्यालय में PVC मैट इत्यादि बिछाने के लिए किए गए अनियमित व्यय के बारे में	0.07
3	15	मोबाईल फोन की खरीद पर व्यय करना	0.09

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ई–गवर्नैन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) काँगड़ा के अवधि 9/2005 से 3/2014 के लेखाओं का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये है, श्री राजवीर सिंह (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनाँक 21.07.14 से 26.07.14, 25.08.14 से 29.08.14 तथा 08.09.14 से 20.09.14 के दौरान काँगड़ा में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु निम्नविवरणानुसार मासों का चयन किया गयाः–

वर्ष	चयनित माह (आय)	चयनित माह (व्यय)
2005–06	11/2005	11/2005
2006–07	10/2006	06/2006
2007–08	11/2007	02/2008
2008–09	11/2008	05/2008
2009–10	02/2010	03/2010
2010–11	11/2010	08/2010
2011–12	11/2011	04/2011
2012–13	07/2012	02/2013
2013–14	01/2014	08/2013

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को ई–गवर्नैन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) काँगड़ा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ई–गवर्नैन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) काँगड़ा के अवधि 9/2005 से 3/2014 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹12000/– आँका गया जिसे राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु उक्त संस्था से अंकेक्षण अधियाचना संख्या RAS KMC/2014/99 दिनांक 20.09.14 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ई–गवर्नैन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) काँगड़ा द्वारा परिवहन विभाग की गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य सेवाएं जैसे कि भूमि दस्तावेज का पंजीकरण, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करना, भूमि का पर्चा जारी करना इत्यादि भी प्रदान की जा रही है। सोसाईटी द्वारा इन सभी सेवाओं को प्रदान करने पर प्राप्त सेवा शुल्क को इकटठा संकलित रूप में एक ही रोकड़ बही में दर्ज किया गया है व सम्पूर्ण राशि को एक ही बचत खाते में जमा करवाया गया है

तथा तदानुसार व्यय भी संकलित रूप में ही किया गया है। परिणामस्वरूप ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा परिवहन विभाग की गतिविधियों से सम्बन्धित सेवा शुल्क की अलग से वित्तीय स्थिति तैयार नहीं की गई अपितु सोसाईटी द्वारा प्राप्त समस्त सेवा शुल्क की संकलित वित्तीय स्थिति तैयार की गई है जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** में दिया गया है।

5 बैंक समाधान विवरणिकाः–

अंकेक्षणाधीन अवधि के अन्त में दिनाँक 31.03.14 को रोकड़ बही के अन्तशेष तथा बैंक खातों के अन्तशेष ₹148565/– का अन्तर पाया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट "क–1"** पर दिया गया है। उक्त अन्तर के मुख्यतः कारण निम्न प्रकार से है।

(क) रोकड़ बही में आय/व्यय की प्रविष्टियाँ न करनाः–

रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति एवं बैंक खातों के मिलान के दौरान पाया गया कि उक्त **परिशिष्ट "क–1"** के अनुसार कुछ एक प्रकरणों में सोसाईटी द्वारा दिनाँक 31.03.14 तक आय/व्यय की प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में नहीं की गई थी जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(i)	दिनाँक 31.03.14 तक बचत खाते से प्राप्त ब्याज जिसकी प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में नहीं की गई	148143
(ii)	दिनाँक 31.03.14 तक बचत खाते में जमा राशि जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की गई	41905
(iii)	राशि जो बैंक द्वारा डेबिट की गई, परन्तु रोकड़ बही में दर्ज नहीं हुई (1320+46286)	47606

उपरोक्त प्रविष्टियों के अभाव में सोसाईटी की वास्तविक वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं होती है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा संस्था स्तर पर जाँच करके उपरोक्त प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में की जाएं तथा भविष्य में भी समय–समय पर ब्याज व अन्य सम्बन्धित समस्त प्रविष्टियों को रोकड़ बही में दर्ज किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) रोकड़ बही में दर्ज आय की राशि को बैंक में जमा न करवानाः–

बैंक खातों व रोकड़ बही के मिलान के दौरान पाया गया कि उपरोक्त **परिशिष्ट "क–1"** कुछ एक प्रकरणों में सोसाईटी द्वारा रोकड़ बही में दर्ज आय या तो बैंक में जमा नहीं करवाई गई थी अथवा रोकड़ बही में दर्ज आय की उपेक्षा बैंक में कम या अधिक राशि जमा की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(i)	रोकड़ बही में दर्ज आय जोकि बैंक में जमा नहीं की गई	11083
(ii)	रोकड़ बही में दर्ज आय की अपेक्षा बैंक में कम जमा राशि	1903
(iii)	रोकड़ बही में दर्ज आय की अपेक्षा बैंक में अधिक जमा राशि	3115

उपरोक्त विवरण से प्रतीत होता है कि सोसाईटी द्वारा प्राप्त आय को बैंक में सही ढ़ंग से जमा नहीं करवाया जा रहा है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा संस्था स्तर पर जाँच करके बैंक में कम जमा की गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूल करके सम्बन्धित बैंक खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6 **निवेशः—**

(क) निवेश की जाँच में यह भी पाया गया कि दिनाँक 21.10.08 को ₹200000/— SBP काँगड़ा में सावधि जमा के रूप में निवेशित की गई तथा उक्त राशि ही सोसाईटी की वित्तीय स्थिति में दिनाँक 31.03.14 को निवेशित की गई दर्शाई गई है। सोसाईटी द्वारा उक्त राशि का प्रतिवर्ष नवीकरण करवाया गया परन्तु बैंक द्वारा 21.10.10 को एक वर्ष के लिये पुर्ननिवेशित राशि की परिपक्वता दिनाँक 21.10.11 की अपेक्षा 31.1.12 दर्शाई गई थी तथा तदानुसार ही FDR को दिनाँक 31.1.12 से आगे पुर्ननिवेशित किया गया था। तत्पश्चात पुर्ननिवेशित एफ0डी0आर0 संख्या 627525 में दिनाँक 31.01.14 को ₹299833/—निवेशित की गई दर्शाई गई थी जबकि उक्त राशि दिनाँक 29.10.2013 को पुर्ननिवेशित की गई दर्शाई जानी चाहिए थी। निवेश में पाई गई उक्त अनियमितताओं/त्रुटियों को उप मण्डल अधिकारी (ना0) एवं प्रशासक ई—सोसाईटी के ध्यानार्थ अंकेक्षण अधियाचना संख्या 65 दिनाँक 22.07.14 द्वारा लाया गया जिस पर कार्रवाई करते हुये बैंक द्वारा नई FDR जारी की गई जिस पर दिनाँक 21.10.13 को निवेशित ₹299833/— दर्शाई गई है। इसके अतिरिक्त ऐसा प्रतीत भी होता है कि सावधि जमा योजना में निवेशित राशि पर अर्जित ब्याज की ₹99833/— को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाये तथा इस तरह की अनियमितताओं की पुनरावृति को रोकने के अतिरिक्त सोसाईटी की रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति में सही राशि दर्शाई जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक द्वारा सावधि जमा योजना में दिनाँक 21.10.13 को ब्याज सहित जो ₹299833/— दर्शाई गई थी वह वास्तव में बैंक से प्राप्त ब्याज की दरों के अनुसार ₹307524/— बनती है जिसकी गणना का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "ख"** पर दिया गया है। अतः कम क्रेडिट किये गये ब्याज की ₹7691 (₹307524—₹299833=₹7691) का मामला सम्बन्धित बैंक से उठाया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) **परिशिष्ट "क–1"** के अनुसार सोसाईटी द्वारा दिनाँक 31.03.14 तक ₹773914/– स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के बचत खाता संख्या 55124082259 में जमा थी जिस पर बचत खाते पर देय ब्याज ही प्राप्त हो रहा था। यदि वास्तविक व्यय का ध्यान में रखते हुए इस राशि में से भी एक समुचित भाग सावधि जमा योजना में निवेश किया गया होता तो सोसाईटी को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय हो सकती थी। अतः परामर्श दिया जाता है कि संस्था स्त्तर पर आन्तरिक जाँच करके तथा सोसाईटी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुये ही बचत खाते में राशि का निवेश किया जाए तथा अतिरिक्त राशि का एक समुचित भाग सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि ब्याज के रूप में अधिक आय की प्राप्ति हो सके।

7 रोकड़ बही के रख–रखाव बारेः–

(क) जाँच में यह पाया गया कि परिवहन विभाग एवं अन्य स्त्रोतों (जैसे कि जमीन की रजिस्ट्री, प्रमाण पत्र व भूमि का पर्चा इत्यादि) से प्राप्त आय के लिये एक ही रोकड़ बही का प्रयोग किया था जिससे कि यह स्पष्ट नहीं होता कि परिवहन विभाग की गतिविधियों से कितनी आय प्राप्त हुई है तथा उसमें से कितना व्यय किया गया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि परिवहन विभाग की गतिविधियों के लेखों के रख रखाव के लिये अलग से रोकड़ बही लगाई जाये व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय के लिये अलग रोकड़ बही लगाई जाये व इनके लिये अलग–अलग बैंक खातों का प्रयोग किया जाये ताकि परिवहन विभाग से सम्बन्धित गतिविधियों की वित्तीय स्थिति स्पष्ट हो सके।

(ख) रोकड़ बही की जाँच में यह पाया गया कि सोसाईटी द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में कोई मासिक विवरण नहीं दिया गया था तथा न ही कभी भी रोकड़ बही के मासिक अन्त शेष का मिलान बैंक के साथ किया गया था जिसके परिणामस्वरूप दिनाँक 31.03.14 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही तथा बैंक के अन्तशेष में बहुत अधिक अन्तर पाया गया जोकि स्वतः ही एक गम्भीर अनियमितता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये। अंकेक्षण के दौरान यद्यपि वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही तथा बैंक के दिनाँक 31.03.14 के अन्तशेष का मिलान करने का प्रयत्न किया गया, परन्तु इस सन्दर्भ में सुझाव दिया गया है कि रोकड़ बही में प्रत्येक माह के अन्त में मासिक विवरणी बनाई जाये जिसके अन्तशेष का मिलान रोकड़ बही के अन्तशेष व बैंक के अन्तशेष से किया जाये ताकि उपरोक्त अनियमितताओं की पुनरावृति न हो।

8 आर0एल0ए0 की आय का 75% भाग ही रोकड़ बही में दर्ज करने बारेः—

रोकड़ बही की जाँच में यह पाया गया कि दिनाँक 25.04.2008 से (आर0एल0ए0) से सम्बन्धित प्राप्त सेवा शुल्क का केवल 75% भाग ही रोकड़ बही में दर्ज किया था अर्थात कुल प्राप्त सेवा शुल्क में से 25% भाग राजकीय कोष में जमा करवाने के उपरान्त शेष 75% भाग सोसाईटी की रोकड़ बही में दर्ज किया गया जिससे सोसाईटी की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं होती है। अतः परामर्श दिया जाता है कि रोकड़ बही में समस्त प्राप्त सेवा शुल्क का लेखाँकन किया जाये व तदोपरान्त राजकीय कोष में नियमानुसार राशि जमा करवाने हेतु इसे रोकड़ बही के व्यय पक्ष में दर्शाया जाए ताकि किसी भी तरह की दुर्विनियोजन की सम्भावना से बचा जा सके व सोसाईटी की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित हो सके।

9 Balance Sheet तथा Income & Expenditure Statement तैयार न करने बारेः—

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या TPT-F(1) 3/2000 ई—गवर्नेन्स दिनाँक 03.09.05 की पैरा संख्या 3 (ए) के अनुसार सोसाईटी द्वारा नियमानुसार लेखों का रख रखाव सुनिश्चित करते हुये प्रतिवर्ष Balance Sheet तथा Income & Expenditure Staement तैयार की जानी अपेक्षित थी परन्तु सोसाईटी द्वारा न तो लेखों का रख रखाव सही ढ़ंग से किया गया तथा न ही Balance Sheet तथा Income & Expenditure Statement तैयार की गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

10 रसीदों से प्राप्त ₹3000/— को जमा न करनाः—

अभिलेख की जाँच में यह पाया गया कि चयनित महीनों में कुछ एक रसीदों का न तो रोकड़ बही लेखाँकन किया गया तथा न ही उक्त रसीदों से प्राप्त राशि को बैंक में जमा करवाया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

माह	रसीद सं0	दर	राशि
10/06	9881 से 9883	100	300
	9921	100	100
	9944 से 9948	100	500
	8972	50	50
11/2005	11118 से 11132, 11152 से 11155 एवं 11175	100	2000
	12766	50	50
		योग	**₹3000**

अतः उपरोक्त रसीदों से प्राप्त आय की प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में न करने व प्राप्त राशि को बैंक में जमा न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा ₹3000/— की वसूली चूककर्ताओं से करके रोकड़ बही/सम्बन्धित बैंक खाते में जमा की जानी सुनिश्चित की जाये। इसके

अतिरिक्त चयनित मासों के अतिरिक्त अन्य मासों में इस प्रकार के प्रकरणों की जाँच संस्था स्त्तर पर करके तदानुसार ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाए।

11 अग्रिम रजिस्टर न लगाने बारेः–

अभिलेख की जाँच में यह पाया गया कि सोसाईटी द्वारा कार्यालय स्टॉफ/शाखा को विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु अग्रिम राशियाँ दी गई थी परन्तु अग्रिम राशियों के बारे में किसी भी प्रकार का रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था जिसके अभाव में इस तथ्य का पता नहीं चलता कि प्रयोजन/उद्देश्य पूर्ण हो जाने पर अग्रिम राशि का समायोजन कर लिया गया था अथवा नही? इस प्रकार आवश्यक अभिलेख के बिना अग्रिम राशियों की दुरूपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। सोसाईटी द्वारा कार्यालय स्टॉफ/शाखा की दी गई अग्रिम राशियों के कुछ एक उदाहरण निम्न प्रकार से हैः–

सम्बन्धित शाखा जिसे अग्रिम राशि दी गई	उद्देश्य	वा0सं0/दिनाँक	राशि
निर्वाचन शाखा	बिजली/दूरभाष के बिलों के भुगतान	शून्य/21.01.08	12000
आर0ए0 शाखा	बिजली/दूरभाष के बिलों के भुगतान	शून्य/29.04.08	10000
एस0डी0ए0 शाखा	बिजली/दूरभाष के बिलों के भुगतान	शून्य/25.02.08	25255
एस0डी0ए0 शाखा	बिजली/दूरभाष के बिलों के भुगतान	शून्य/16.03.10	3738
एस0डी0ए0 शाखा	बिजली/दूरभाष के बिलों के भुगतान	शून्य/19.08.10	10995
एस0डी0ए0 शाखा	बिजली/दूरभाष के बिलों के भुगतान	शून्य/23.04.11	17364
एस0डी0ए0 शाखा	बिजली/दूरभाष के बिलों के भुगतान	शून्य/03.08.13	13777
एस0डी0ए0 शाखा	बिजली/दूरभाष के बिलों के भुगतान	शून्य/13.08.13	6997
एस0डी0ए0 शाखा	बिजली/दूरभाष के बिलों के भुगतान	शून्य/16.8.13	6063
एस0डी0ए0 शाखा	बिजली/दूरभाष के बिलों के भुगतान	शून्य/21.8.13	1112
एस0डी0ए0 शाखा	बिजली/दूरभाष के बिलों के भुगतान	शून्य/26.8.13	3199

अतः नियमानुसार आवश्यक अभिलेख तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व सोसाईटी द्वारा यथाशीघ्र अग्रिम रजिस्टर तैयार किया जाये जिसमें गत वर्षों के दौरान कार्यालय स्टॉफ/शाखा व अन्य संस्थाओं इत्यादि को दी गई अग्रिम राशियों का पूर्ण विवरण दिया जाये तथा असमायोजित राशियों की वसूली हेतु नियमानुसार उचित कदम उठाये जाये।

12 Data Entry Operators को wages का भुगतान करने बारेः–

जाँच में यह पाया गया कि सोसाईटी द्वारा Data Entry Operators को wages का भुगतान प्रतिमाह एक मुश्त राशि के रूप में किया जा रहा था परन्तु इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के अभिलेख जैसे कि हाजिरी रजिस्टर/ई0सी0आर0/भुगतान रसीदें इत्यादि का

अनुरक्षण नहीं किया गया था जिस कारण भुगतान की गई राशि की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः वाँछित अभिलेख तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा आवश्यक अभिलेख तैयार करके किये गये भुगतानों की पुष्टि आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जानी सुनिश्चित की जाये। Data Entry Operators को भुगतान की राशि के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से हैः–

वा0सं0 / दिनाँक	जिसे भुगतान किया गया	राशि
शून्य / 01.06.06	श्री जगदीप धीमान (D.E.O.)	2650
शून्य / 01.02.08	–यथोपरि–	4500
शून्य / 01.05.08	–यथोपरि–	4500
शून्य / 07.04.11	श्री सुभाष चन्द (D.E.O.)	4400
	श्रीमती सुदेश कुमारी (D.E.O.)	4400
	श्री अरूण कुमार (D.E.O.)	4400
	श्री दुर्गा प्रसाद (D.E.O.)	4400
शून्य / 3.8.13	श्री कश्मीर सिंह (D.E.O.)	5808
	श्री अरूण कुमार (D.E.O.)	5808
	श्री अजय कुमार (D.E.O.)	4800
	श्री सुभाष चन्द (D.E.O.)	5808
	श्री रोहित बिष्ठ (D.E.O.)	4800
	श्रीमती सुदेश कुमारी (D.E.O.)	5808

13 सत्कार प्रभार (Hospitality Charges) पर किए गए ₹8545 के अनियमित व्यय के बारे मेंः–

जाँच में यह पाया गया कि सोसाईटी द्वारा सत्कार हेतु व्यय किया गया था जिसके कुछ एक उदाहरण निम्न प्रकार से हैः–

दिनाँक	रोकड़ बही पृ0सं0	राशि
11.02.08	पृ0सं0 112	3550
14.05.08	पृ0सं0 124	3000
06.08.10	पृ0सं0 124	1000
06.02.13	पृ0सं0 39	995
	योग	**₹8545**

उक्त भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या TPT-F(1) 3/2000 ई–गर्वनेन्स दिनाँक 03.09.05 के प्रावधानों के विपरीत है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस तरह के समस्त प्रकरणों की संस्था स्तर पर छानबीन करने के उपरान्त अनियमित व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाये अथवा अनियमित व्यय की

राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा की जानी सुनिश्चित की जाये। इसके अतिरिक्त उपरोक्त भुगतानों के सम्बन्ध में बिल/वाऊचर इत्यादि अंकेक्षण के दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए जिस बारे भी स्थिति स्पष्ट की जाये तथा सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाएं।

14 उप मण्डलाधिकारी (ना0) के आशुलिपिक के कार्यालय में PVC मैट इत्यादि बिछाने के लिए किए गए ₹7490/– के अनियमित व्यय के बारे मेंः–

वाऊचर संख्या शून्य, दिनाँक 25.04.11 के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार सैनी सरकारी ठेकेदार को ₹7490/– का भुगतान उप मण्डलाधिकारी (ना0) के आशुलिपिक कार्यालय में PVC मैट बिछाने (Fix) करने हेतु किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या TPT-F(1)3/2000 ई–गवर्नेन्स दिनाँक 03.09.05 में इस तरह का व्यय करने का कोई प्रावधान नहीं है जिस कारण ₹7490/– के व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः उक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके इस अनियमितता का नियमितिकरण करवाया जाये अथवा ₹7490/– की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा की जानी सुनिश्चित की जाये।

15 मोबाईल फोन की खरीद पर ₹9600/– का व्यय करने बारेः–

वाऊचर संख्या शून्य दिनाँक 23.05.08 के अन्तर्गत मै0 शर्मा इलैक्ट्रोनिक काँगड़ा को उनके बिल /कैश मैमों संख्या 2007 दिनाँक 22.05.08 के एवज में एक नोकिया–70 मोबाईल फोन की खरीद हेतु ₹9600/– का भुगतान किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या TPT-F(1) 3/2000 ई–गवर्नेन्स दिनाँक 03.09.05 में इस तरह का व्यय करने का कोई प्रावधान नहीं है जिस कारण ₹9600/– के व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः उक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके इस अनियमितता का नियमितिकरण करवाया जाये अथवा ₹9600/– की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा की जानी सुनिश्चित की जाये। इसके अतिरिक्त खरीदी गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि भी नहीं की गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अब सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 मोबाईल चार्जिज के भुगतान बारेः–

चयनित महीनों के भुगतान वाऊचरों/रोकड़ बही की जाँच में यह पाया गया कि सोसाईटी द्वारा प्रशासक ई–गवर्नेन्स सोसाईटी एवं तहसीलदारों को सोसाईटी की निधि से मोबाईल भत्ते का भुगतान किया जा रहा है जिसके कुछ एक उदाहरण निम्न प्रकार से हैः–

सम्बन्धित अधिकारी जिसका भुगतान किया गया	वा0सं0/दिनाँक	दर	राशि
प्रशासक ई–गवर्नेन्स सोसाईटी काँगड़ा	शून्य/5.3.10	प्रतिमाह	₹500
–यथोपरि–	शून्य/6.8.10	(₹500 प्रतिमाह)	₹500
तहसीलदार काँगड़ा	शून्य/2.8.10	(₹300 प्रतिमाह)	₹900
नायब तहसीलदार काँगड़ा	–यथोपरि–	(₹300 प्रतिमाह)	₹600
प्रशासक ई–गवर्नेन्स सोसाईटी काँगड़ा	शून्य/3.8.13	(₹500 प्रतिमाह)	₹500
तहसीलदार काँगड़ा	–यथोपरि–	(₹300 प्रतिमाह)	₹300
नायब तहसीलदार काँगड़ा	–यथोपरि–	(₹300 प्रतिमाह)	₹300

उपरोक्त भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या TPT-F(1) 3/2000 ई–गर्वनेन्स दिनाँक 3.9.05 के प्रावधानों के विपरीत है। अतः नियमों के विपरीत व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा संस्था स्त्तर इस तरह के समस्त प्रकरणों की जाँच करके, अनियमित व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाये।

17 मै0 हिन्द बुक्स वाईडिंग वर्कस को ₹500 /– का अधिक भुगतान करने बारेः–

वाऊचर संख्या शून्य दिनाँक 02.03.10 के अन्तर्गत सोसाईटी द्वारा मै0 हिन्द बुक्स वाईडिंग वर्कस, नगरोटा बगवां को उनके बिल/कैश मैमों संख्या 41 दिनाँक 02.03.10 के एवज में कैश बुक्स रसीदें व अन्य अभिलेख की वाईडिंग हेतु ₹3995/– का भुगतान किया गया था। जाँच में यह पाया गया कि उक्त बिल का योग ₹3495/– बनता था। इस तरह फर्म को (₹3995–₹3495=₹500) का अधिक भुगतान किया गया जिसकी प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके यह राशि सम्बन्धित निधि में जमा की जानी सुनिश्चित की जाये तथा परामर्श दिया जाता है कि सोसाईटी में आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाये ताकि इस तरह की त्रुटियों की पुनरावृति न हो सके।

18 निर्धारित औपचारिकताऐं पूर्ण किए बिना ही सामग्री की खरीद करने बारे तथा खरीदी गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश वित्त नियमावली 2009 के नियमों के अनुसार दिनाँक 12.08.09 से ₹3000/– से अधिक एवं दिनाँक 12.8.09 से पहले ₹1000/– से अधिक के मूल्य के सामान की खरीद कोटेशने आमन्त्रित करके की जानी अपेक्षित थी। जाँच में यह पाया गया कि सोसाईटी द्वारा अधिकत्तर प्रकरणों में उपरोक्त नियमों की अनुपालना नहीं की गई जिस कारण बाजारी प्रतियोगिता के लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः उक्त त्रुटि बारे भी स्थिति स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर की गई इस अनियमितता का नियमितिकरण करवाया जाये। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश वित्त नियमावली 2009 के नियम 97 के

अनुसार प्रत्येक प्रकरण में ₹3000/– तक के मूल्य के सामान की खरीद बिना कोटेशने आमन्त्रित किए की जा सकती है। बशर्ते कि पूरे वित्तीय वर्ष में बिना कोटेशने की कुल खरीद सम्मिलित रूप में ₹50000/– से अधिक न हो जिस हेतु निम्न प्रमाण पत्र आहरण एवं वितरण अधिकारी को देना होगा "I am personaly satisfied that the goods purchased are of the requisite quality and specification and have been purchased from a reliable supplier at reasonable price." । जाँच में यह भी पाया गया कि सोसाईटी द्वारा ₹3000/– तक के मूल्य के सामान की खरीद बिना कोटेशनों के की गई परन्तु नियमानुसार न तो आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिया गया तथा न ही ऐसा कोई अभिलेख तैयार किया गया जिससे इस तथ्य का पता चल सके कि अमुक वित्तीय वर्ष में बिना कोटेशनों के कितने मूल्य के सामान की खरीद की गई। अतः आवश्यक अभिलेख तैयार न करने व नियमों की अवहेलना करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये। उपरोक्त के अतिरिक्त भुगतान वाऊचरों की जाँच में यह भी पाया गया कि सोसाईटी द्वारा सम्बन्धित बिलों पर न तो स्टॉक प्रविष्टियाँ अकिंत की गई थी तथा न ही स्टॉक रजिस्टर आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध करवाये गये जिससे प्रतीत होता है कि सोसाईटी द्वारा खरीदी गई सामग्री हेतु स्टॉक रजिस्टर लगाये ही नहीं गये थे। इस प्रकार खरीदी गई सामग्री का लेखाँकन किए बिना तथा सामग्री को स्टॉक में दर्ज किये बिना ही इनका प्रयोग करना व बिलों का भुगतान करना स्वतः ही एक गम्भीर अनियमितता है। उक्त अनियमितता के कारण सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इस अनियमितता को उप मण्डलाधिकारी (ना0) एवं प्रशासक ई–गवर्नेन्स सोसाईटी काँगड़ा के ध्यानार्थ अंकेक्षण अधियाचना संख्या 98 दिनाँक 19.09.14 द्वारा तथा चर्चा के दौरान भी लाया गया जिस बारे चर्चा के उपरान्त उनके द्वारा समस्त अभिलेख ठीक करने बारे आश्वासन दिया गया। अतः परामर्श दिया जाता है कि अविलम्ब नियमों की अनुपालना करते हुये स्टॉक रजिस्टर तैयार किये जाये व संस्था स्तर पर छानबीन करके अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गई समस्त सामग्री की प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में मदवार की जानी सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में भी नियमानुसार स्टॉक रजिस्टरों का मदवार ही अनुरक्षण किया जाये। सोसाईटी द्वारा औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना खरीदी गई सामग्री जिनकी स्टॉक रजिस्टर में भी प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से हैः–

वा0सं0/दिनाँक	**बिल नं0/दि0**	**फर्म का नाम**	**राशि**	**सामग्री**
शून्य/01.06.06	451/15.05.06	मै0 एक्सिस इनफोर्टेक धर्मशाला	2574	कम्पयूटर स्टेशनरी
शून्य/01.06.06	448/15.05.06	–यथोपरि–	4867	–यथोपरि–

शून्य / 01.06.06	457 / 19.05.06	–यथोपरि–	1227	–यथोपरि–
शून्य / 28.06.06	495 / 28.06.06	–यथोपरि–	4446	–यथोपरि–
शून्य / 28.06.06	496 / 28.06.06	–यथोपरि–	3432	–यथोपरि–
शून्य / 08.02.08	93 / 28.01.08	मै0 सनटैक कम्पयूटर काँगड़ा	1400	–यथोपरि–
शून्य / 08.02.08	1186 / 30.01.08	मै0 एक्सिस इनफोर्टेक धर्मशाला	4207	–यथोपरि–
शून्य / 08.02.08	1187 / 30.01.08	–यथोपरि–	2190	–यथोपरि–
शून्य / 14.05.08	शून्य / 14.05.08	मै0 गुप्ता सविंग मशीन काँगड़ा	2950	2 नं0 सीलिंग फैन
शून्य / 17.05.08	1325 / 08.05.08	मै0 एक्सिस इनफोर्टेक धर्मशाला	812	कम्पयूटर स्टेशनरी
शून्य / 17.05.08	1324 / 08.05.08	–यथोपरि–	9038	–यथोपरि–
शून्य / 16.03.10	747 / 16.03.10	मै0 कृष्णा ब्रदर्ज काँगड़ा	8403	–यथोपरि–
शून्य / 19.03.10	255 / 16.03.10	मै0 एक्सिस इनफोर्टेक धर्मशाला	6583	–यथोपरि–
शून्य / 19.03.10	258 / 16.03.10	–यथोपरि–	2496	–यथोपरि–
शून्य / 14.06.06	6070 / 01.06.06 6089 / 02.06.06	मिनर्वा बुक हाऊस शिमला –यथोपरि–	560 440	M/V Act की किताबें –यथोपरि–
शून्य / 30.06.06	शून्य	मै0 हिम ऑटो प्राईसस काँगड़ा	19180	6 नं0 साईंन बोर्ड
शून्य / 31.05.08	1640 / 25.05.08 1650 / 29.05.08	मै0 चौधरी इलैक्ट्रोनिक काँगड़ा –यथोपरि–	3518 1355	बिजली का सामान –यथोपरि–
शून्य / 31.03.10	2675 / 20.03.10 2907 / 29.03.10	मै0 कम्पयूटैक सिस्टम पालमपुर –यथोपरि–	8000 25000	कम्पयूटर स्टेशनरी –यथोपरि–
शून्य / 31.03.10	262 / 27.03.10	मै0 एक्सिस इन्फोटैक धर्मशाला	6583	–यथोपरि–
शून्य / 31.03.10	853 / 15.03.10	मै0 कृष्णा ब्रदर्ज काँगड़ा		–यथोपरि–
शून्य / 02.08.10	1249 / 28.07.10 1256 / 28.07.10 1267 / 28.07.10	मै0 इन्टरनेशनल ट्रेडर काँगड़ा –यथोपरि– –यथोपरि–	8965 8987 8991	Point Material (रंग रोगन) –यथोपरि– –यथोपरि–
शून्य / 02.08.10	308 / 28.07.10	मै0 एक्सिस इन्फोटैक धर्मशाला	8212	कम्पयूटर स्टेशनरी
शून्य / 02.08.10	346 / 08.07.10	मै0 कृष्णा ब्रदर्ज काँगड़ा	8400	–यथोपरि–
शून्य / 19.08.10	192 / 10.08.10	मै0 सनटैक कम्पयूटर कॉगड़ा	9070	–यथोपरि–
शून्य / 31.08.10	375 / 07.08.10	मै0 कृष्णा ब्रदर्ज	8400	–यथोपरि–

		काँगड़ा		
शून्य / 31.08.10	3224 / 05.08.10	मै0 कम्पयूटैक सिस्टम पालमपुर	8000	–यथोपरि–
शून्य / 31.08.10	326 / 19.8.10	मै0 एक्सिस इन्फोटेक धर्मशाला	8264	कम्पयूटर स्टेशनरी
शून्य / 19.8.10	205 / 10.6.10	मै0 इलैक्ट्रोनिक मेगा मार्ट काँगड़ा	9900	1 No.A.C.
	320 / 6.8.10	–यथोपरि–	3600	1 No. STEBLIZER
	249 / 30.6.10	–यथोपरि–	6400	1 No. Vacum Cleaner
शून्य / 31.8.10	2411 / 10.8.10	मै0 चौहान इलैक्ट्रोनिक्स वर्कस काँगड़ा	1450	1 No. Fan
शून्य / 31.8.10	3268 / 25.8.10 3267 / 25.8.10	मै0 कम्पयूटैक सिस्टम पालमपुर –यथोपरि–	5460 6631	कम्पयूटर स्टेशनरी –यथोपरि–
शून्य / 25.4.11	446 / 30.3.11	मै0 सनटैक कम्पयूटर काँगड़ा	5025	–यथोपरि–
शून्य / 25.4.11	4132 / 29.3.11	मै0 कम्पयूटैक सिस्टम पालमपुर	7245	–यथोपरि–
शून्य / 25.4.11	18 / 4.4.11	मै0 कृष्णा ब्रदर्ज काँगड़ा	8400	–यथोपरि–
	707 / 11.4.11	मै0 प्रिन्टर केयर एण्ड सर्विसज धर्मशाला	1100	–यथोपरि–
	708 / 11.4.11	–यथोपरि–	2350	–यथोपरि–
	443 / 16.4.11	मै0 एक्सिस इन्फोटैक धर्मशाला	8568	–यथोपरि–
	444 / 16.4.11	–यथोपरि–	5738	–यथोपरि–
शून्य / 27.4.11	111 / 2.11.10	भाटिया ट्रंक हाऊस रानीताल	4500	1 No. Almirah
	112 / 2.11.10	–यथोपरि–	4500	–यथोपरि–
	113 / 2.11.10	–यथोपरि–	4500	–यथोपरि–
शून्य / 6.2.13	77 / 22.10.12	मै0 डिवाईन इन्फोटेक काँगड़ा	2160	कम्पयूटर स्टेशनरी
	133 / 9.1.13	–यथोपरि–	3960	–यथोपरि–
	138 / 11.1.13	–यथोपरि–	3200	–यथोपरि–
	675 / 28.12.12	मै0 कृष्णा ब्रदर्ज काँगड़ा	2835	–यथोपरि–
	732 / 11.1.13	–यथोपरि–	1365	–यथोपरि–
	762 / 24.1.13	–यथोपरि–	107	–यथोपरि–
	794 / 30.1.13	–यथोपरि–	2161	–यथोपरि–
	793 / 30.1.13	–यथोपरि–	6368	–यथोपरि–
शून्य / 7.8.13	363 / 8.7.13	मै0 कुनाल प्रिटिंग प्रैस धर्मशाला	8000	5000Register Certificate

	364 / 8.7.13	–यथोपरि–	4000	2000 fitness certificate
शून्य / 7.8.13	331 / 18.7.13	मै0 डिवाईन इन्फोटैक काँगड़ा	8600	कम्पयूटर स्टेशनरी
शून्य / 7.8.13	278 / 22.7.13	मै0 कृष्णा ब्रदर्ज काँगड़ा	7140	–यथोपरि–
	295 / 31.7.13	–यथोपरि–	5702	–यथोपरि–
	1146 / 23.7.13	मै0 दौलत राम एण्ड सन्ज काँगड़ा	7000	200 मी0 कपड़ा
शून्य / 17.8.13	232 / 15.6.13	मै0 कृष्णा ब्रदर्ज काँगड़ा	2520	कम्पयूटर स्टेशनरी
	279 / 22.7.13	–यथोपरि–	9135	–यथोपरि–
	338 / 12.8.13	मै0 डिवाईन इन्फोटैक काँगड़ा	2900	–यथोपरि–
	339 / 14.8.13	–यथोपरि–	9700	–यथोपरि–
	340 / 14.8.13	–यथोपरि–	3200	–यथोपरि–
शून्य / 30.8.13	150 / 9.10.13	HP State Electronics Dev. Corp. SML	63738	1 No. Photocopy Machine
	151 / 9.10.13	–यथोपरि–	63738	–यथोपरि–

19 रसीदों से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर जाँच हेतु प्रस्तुत न करनाः–

जाँच में यह पाया गया कि सोसाईटी द्वारा दिनाँक 29.05.07 तक सेवा शुल्क की वसूली / प्राप्ति हेतु क्रमशः ₹50, ₹100, ₹150 व ₹200 / – की मूल्य की प्रिटिंड रसीदें प्रयोग में लाई गई थी तथा दिनाँक 30.05.07 से सोसाईटी द्वारा रसीदें कम्पयूटर के माध्यम से जारी की गई थी। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 64 दिनाँक 21.07.14 द्वारा रसीदों से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत करने बारे अनुरोध किया गया जिसके उत्तर में प्रशासक ई–गवर्नेन्स के पत्र संख्या 505 / ई–गवर्नेन्स दिनाँक 22.07.14 द्वारा सूचित किया गया कि सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि सोसाईटी द्वारा कम्पयूटरीकरण से पूर्व किस मूल्य वर्ग कि कितनी रसीद बुक्स की प्रिटिंग करवाई गई, किस मूल्य वर्ग की कितनी रसीद बुक्स प्रयोग में लाई गई तथा किस मूल्य वर्ग की कितनी रसीद बुक्स शेष थी। अतः विभागीय स्त्तर पर इस मामले की जाँच पड़ताल की जाये तथा की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

20 ₹59278 / – के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारेः–

सोसाईटी द्वारा रोकड़ बही में निम्नविवरणानुसार ₹59278 / – का खर्चा बुक किया गया थाः–

मद	वा0सं0	दिनाँक	राशि
दूरभाष बिल	शून्य	6.2.13	4754
बिजली बिल	शून्य	19.2.13	15748
बिजली बिल	शून्य	22.2.13	3877
		कुल योग	**59278**

उपरोक्त भुगतान/खर्चे से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा वाँछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करके किये गये व्यय को उचित ठहराया जाये।

21 विविधः–

केन्द्रीय ईकाई से समय–2 पर ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) काँगड़ा को जारी की गई विभिन्न मदों तथा ई–गवर्नेन्स सोसाइटी (RLA) काँगड़ा से केन्द्रीय ईकाई को समय–2 पर केन्द्रीय ईकाई के हिस्से के रूप में भेजी गई राशि का मिलान केन्द्रीय ईकाई से नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

23 निष्कर्षः– लेखाओं के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(14)(xii)(i) 10/2014 खण्ड–1–916–920 दिनांक, 25.2.15शिमला–171009

पंजीकृतः–1 उप मण्डल अधिकारी (आर0एल0ए0) काँगड़ा जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।
2 जिलाधीश काँगड़ा जिला काँगड़ा (हि0प्र0)
3 निदेशक (परिवहन विभाग) हि0प्र0 शिमला–03
4 अवर सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला–02
5 श्री राजवीर सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा..........................

हस्ता/–

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.